राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थी का नाम	बनाम
1	1430 / 2020	विकास कुमार	1. राजस्थान राज्य जरिये अति.मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक, जयपुर। 3. पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर रेंज, उदयपुर। 4. पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।
2	1431 / 2020	दुर्गा सिंह चुंडावत	

आदेश की दिनांक : 13.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित तिवाडी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त दोनों अपीलों में समान रूप से प्रार्थना की गयी है, जो निम्न प्रकार से है :–

It is therefore, humbly prayed that the Learned Tribunal be please to allow present Appeal and :-

(i) pass appropriate order or direction, whereby the Notification dated 16.7.2020, 6.10.2020 be quashed and set-aside and further directions be issued to issue promotions on the post of Head Constable form the select list published earlier for vacancy year 2018-19 by additionally including 71 unfilled screening vacancies, in the pool of vacancies meant to be filled by qualifying exam with all consequential benefits and reliefs.

(ii) pass appropriate order or direction, whereby the order dated 18.6.2020 be quashed and set-aside and standing order no 19/2018 dated 19.7.2018 be made effective from vacancy year 2018-19 qua instruction no. 6 included therein with all consequential benefits and reliefs.

(ii) pass appropriate, Order or direction, whereby order dated 19.6.2020 be quashed and set-aside and further directions be issued in terms of prayers in present Appeal.

(iv) pass appropriate, Order or direction, whereby appropriate directions be issued for correctly determining the vacancies of Head Constable meant to be filled by qualifying examination for the vacancy year

2018-19 by additionally including 71 unfilled screening vacancies, in the pool of vacancies meant to be filled by qualifying exam with all consequential benefits and reliefs.

(v) Any other appropriate order or direction which the Learned Tribunal may deem just, proper in the facts and circumstance of the case may kindly be passed in favour of the Appellant.

(VI) Cost of the Appeal may also be awarded in favour of the Appellant.

2. वर्तमान अपीलों की उक्त प्रार्थना के समान ही इस अधिकरण द्वारा पूर्व में अपील संख्या 1154/2020 कुलवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में आदेश दिनांक 17.08.2022 पारित किया था, जिसमें निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया था :–

> ''अतः राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 (अनुलग्नक–1) के क्रम में जारी स्थाई आदेश 19/2018 दिनांक 19.07.2018 (अनुलग्नक–2), जो कि एक प्रशासनिक आदेश है और ये उक्त नियम 2018 के सुसंगत (Consistent) है, के अलावा इसके पश्चात् इसमें जो असुसंगत (inconsistants) संशोधन आदेश दिनांक 18.06.2020 (अनुलग्नक–6) को हम Section 4(2) of The Rajasthan Civil Services (Service Matters Appellate Tribunals) Act, 1976 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर खारिज (set aside) करते है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर दिनांक 01.04.2018 को शत् प्रतिशत स्क्रिनिंग पद्धति से पदोन्नति किए जाने का प्रयास करने के बावजूद कॉनिस्टेबल से हेड कॉनिस्टेबल के पद हेतु 102 पद रिक्त रह गए है, जिनमें से 31 पद योग्यात्मक परीक्षा से पदोन्नति कर भरे जा चुके है, के अलावा शेष 71 पदों को भी वर्गवार योग्यात्मक परीक्षा आयोजित की जाकर वर्ष 2018–19 के लिए ही पदोन्नति से भरा जाये तथा यदि अपीलार्थी भी पात्रता रखता है, तो उसे भी पदोन्नति सहित पदोन्नति के उपरान्त देय समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किया जाये। तद्नुसार हस्तगत अपील का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।''

3. चूंकि वर्तमान में दोनों अपीलों की प्रार्थना उपरोक्त अपील संख्या 1154/2020 कुलवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य के समान ही है। ऐसे में इन अपीलों में आदेश दिया जाता है कि इन अपीलों के अपीलार्थीगण के संबंध में वहीं आदेश लागू होगा जो अपील संख्या 1154/2020 कुलवीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य

में दिनांक 17.08.2022 को पारित किया गया है। अतः वर्तमान अपीलों का निस्तारण उक्त अपील संख्या 1154 / 2020 के निर्णय दिनांक 17.08.2022 के समान ही किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थीगण को अपील संख्या–1154 / 2020 के अपीलार्थी के समान ही मानते हुए उक्त अपील के आदेश दिनांक 17.08.2022 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)